न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2011 (उदयपुर डिक्री)

1. भीमा पिता डूंगा जी डांगी, निवासी नन्दीवेला (मृतक) के बजाय :–

1/1. धूला पिता भीमा जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती डाई बाई पुत्री भीमा जी पत्नी मेघा जी डांगी, निवासी करावली, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती लाली बाई पुत्री भीमा जी पत्नी धूला जी डांगी, निवासी भूतिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती भागू बाई बेवा भीमा जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. वाला पिता भीमा जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती हिरी पुत्री दोला जी डांगी, निवासी बोरिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती केसी पुत्री दोला जी डांगी, निवासी फिला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गोविन्दा पिता लखमा जी डांगी, निवासी पातूखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कूरी पुत्री गोविन्दा पिता लखमा जी डांगी, निवासी पातूखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती अमरी पुत्री दोला जी डांगी, निवासी रावतपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. वाला पिता पदा जी डांगी, निवासी नन्दीवेला (मृतक) के बजाय :–

6/1. शंकर पिता वाला जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. श्रीमती भंवरी पुत्री वाला जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. श्रीमती धन्नू बेवा वाला जी डांगी, निवासी नन्दीवेला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 28.03.2011 प्र.सं. 229/02

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1 से 4
3. श्री ओंकार लाल डांगी अभि॰ रेस्पो॰ सं॰ 5 व 6
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 7

---:::---

निर्णय **दिनांक 30–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नन्दीवेला में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 34 रकबा 2.7050 हैक्टर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हक है, प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, किन्तु उनकी नियत में बेईमानी आ जाने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देते हुए मनाही करते हैं। अतएवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 30–11–2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या 1 व 3 (अपीलान्ट संख्या 1 व 2) द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में की गयी, जो खारिज कर दी गयी। द्वितीय अपील अपीलान्ट

द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में की गयी जो अभी पेण्डिंग हैं। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय की पत्रावली अपील न्यायालय में बकौल अपीलान्ट नहीं भिजवायी गयी तथा राजस्व मण्डल में पत्रावली तलबी के बावजूद फाईनल डिक्री की कार्यवाही बकौल अपीलान्ट रोककर प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील लम्बित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्तावों के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 28–03–2011 को पारित कर दी गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–04–2011 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना व शहादत का मौका दिये बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार को कमिश्नर मुकर्रर किया, किन्तु मौके पर वे नहीं गये एवं पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर अधिनस्थ न्यायालय में भेज दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील पेण्डिंग होते हुए भी प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी, जो विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने

दिनांक 30–11–2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की अपील इस न्यायालय में होने पर प्रकरण संख्या 476/2003 दर्ज किया जाकर दिनांक 11–07–2007 को अपील खारिज कर दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–11–2002 के बाद दिनांक 26–09–2007 को आदेशिका में यह वर्णित किया कि प्रकरण में न्यायालय के पी.डी. आदेश दिनांक 30–11–2002 पर तहसीलदार गिर्वा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी जाकर दिनांक 29–11–2007 को सुनवाई हेतु पेश हो। इस दौरान विभाजन प्रस्ताव में पत्रावली लम्बित चलती रही। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 65 पर राजस्व मण्डल के पत्र दिनांक 03–10–2007 से उक्त पत्रावली तलब किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है तथा दिनांक 24–09–2008 की आदेशिका में यह वर्णित किया कि उपतहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 30–04–2008 से पत्रावली में रेवेन्यू बोर्ड से स्थगन होने से बंटवाडा की कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली स्थगन अवधि व राजस्व मण्डल की कार्यवाही तक स्थगित रखी जाकर दिनांक 03–12–2008 को पेश हो।

अर्थात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष डिक्री की अपील लम्बित होने तथा स्थगन की कार्यवाही होने बाबत् तथा पत्रावली तलब किये जाने के पत्रादि उपलब्ध होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रेषित नहीं की जाकर प्रकरण को विभाजन प्रस्ताव की तलबी में ही लम्बित रखा तथा प्रकरण में पत्रावली तलबी व द्वितीय अपील लम्बित होने के तथ्यों के बावजूद दिनांक 20–05–2009 को प्रकरण में नायब तहसीलदार कुराबड़ से बंटवाड़ा रिपोर्ट अप्राप्त तथा प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन हो तो नायब तहसीलदार कुराबड से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रकरण दिनांक 06–08–2009 को पेश किये जाने का कथन किया। दिनांक 09–03–2010 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के लिए लिखा तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28–03–2011 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी। इस प्रकरण में हम अंतिम डिक्री के गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के स्थान पर सर्वप्रथम यह विचारण किया जाना उचित समझते हैं कि प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील लम्बित होने तथा पत्रावली राजस्व मण्डल से तलब किये जाने के तथ्यों का अधिनस्थ न्यायालय के ध्यान में दिनांक 24–09–2008 को प्रसंज्ञान हो जाने के

बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल में नहीं भिजवाया जाना अत्यन्त खेदजनक है। न्याय प्रशासन में यदि अपील न्यायालय द्वारा पत्रावली तलब की जाती है तथा पत्रावली अपीलीय न्यायालय को प्रेषित नहीं की जाकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की कियान्विती किये जाने की जल्दबाजी निसंदेह न्याय प्रशासन के लिए खेदजनक है तथा प्रकरण में पक्षकारों के हितों के निर्धारण के लिए प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील लम्बित होने तथा पत्रावली तलब किये जाने के बावजूद पत्रावली प्रेषित नहीं कर विभाजन प्रस्ताव तलब कर अंतिम डिक्री पारित करना पूर्णतया विधि विरूद्ध है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2011 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित होने के कारण पत्रावली तत्काल माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित की जावे तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की द्वितीय अपील में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............ व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य	बनाम	**भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं॰.......**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**..... ....**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे..........**...24**...............माह..............**05**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।